

परिशिष्ट - "1"

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चेरीटेबल/एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदंडों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम / पता	मन आरोग्य न्यास 3 क विज्ञान नगर कोटा - 324005
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गयी है।	कोटा
चाही गयी भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम, खसरा नंबर, क्षेत्रफल आदि)	मुकुन्दरा विहार 3000 वर्गमीटर
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में संस्था की पंजीकरण संख्या 301 दिनांक 13-01-2013 है, विधान एवं उपनियम पत्रावली में पृष्ठ संख्या 18 से 36 तक संलग्न हैं।
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	न्याय के आय-व्यय की गत तीन वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-2015 एवं 2015-2016 की ऑडिट रिपोर्ट पत्रावली में पृष्ठ संख्या 1 से 9 तक संलग्न हैं
सम्बंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/ किये जा रहे कार्यों का विवरण	मन आरोग्य न्यास कोटा द्वारा स्थापना से ही समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा निशुल्क मन आरोग्य एवं नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, विस्तृत विवरण पत्रावली के पृष्ठ संख्या 64 से 81 तक संलग्न हैं
चाही गयी भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	मानसिक स्वास्थ्य एवं शोध केंद्र हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पत्रावली में पृष्ठ संख्या 37 से 63 तक संलग्न है तथा अनुमानित निर्माण लागत एवं आर्थिक संसाधन पृष्ठ 56 एवं 65-66 पर उल्लेखित है।

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा	परियोजना का संचालन अव्यावसायिक होगा, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का 60 प्रतिशत समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं गरीबी की रेखा से नीचे यापन करने वाले मनोरोगियों को पूर्णतया निशुल्क और प्राथमिकता में होगा एवं शेष राज्य सरकार के मापदंडों के अनुरूप सस्ती/सामान्य दरों पर।
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्म्स	98 बेड के मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कम से कम 3000 वर्ग मीटर भूमि तो ( खुले क्षेत्र सहित) चाहिए एवं राज्य सरकार के नोर्म्स में (भू आवंटन नीति) गरीब वर्ग के हितार्थ 50 बेड तक के हॉस्पिटल हेतु 3000 वर्ग मीटर तक निशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है।
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गयी थी। यदि हाँ तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं
सम्बंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गयी।	
चाही गयी विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गयी अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गयी भूमि नगर निगम/नगर परिषद/ स्थानीय निकाय सीमा के अंदर स्थित है अथवा बाहर।	अंदर

*Jyanti*  
अध्यक्ष  
मन आरोग्य न्यास  
3-क-62, विज्ञान नगर कोटा

आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों प्रोमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण।	मन आरोग्य न्यास से स्वास्थ्य, मानसिक रोग चिकित्सक, मनोविज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता स्वयंसेवी के रूप में जुड़े हुए हैं, विवरण पत्रावली के पृष्ठ संख्या 61 पर उल्लेखित है
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनागत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण।	नहीं।
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	नहीं।
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कर्षों के संबंध में विवरण	
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	नहीं।
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	
अन्य विवरण	

*Fujanti*  
 अध्यक्ष  
 मन आरोग्य न्यास  
 3-8-82 विज्ञान नगर काठ